

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद- महाराजगंज

पत्रांक /न०प०नि०/2020-21

दिनांक- 27.2.2021

ठेकेदारों का नवीनीकरण व पंजीयन हेतु सार्वजनिक सूचना

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट दिनांक 06 नवम्बर 2012 नगर पंचायत निचलौल-महाराजगंज में निर्माण कार्यों व अन्य कार्यों आदि के लिए ठेकेदारी पंजीयन उपविधि लागू है। जिस किसी भी फर्म/ठेकेदार जो नगर पंचायत निचलौल-महाराजगंज में निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों हेतु पंजीयन व नवीनीकरण कराना चाहते हो वे उपविधि में किये गये दर एवं शर्तों के अनुसार अपने लेटर पैड पर आवेदन पत्र विज्ञप्ति तिथि से दिनांक 12-03-2021 समय 3.00 तक किसी भी कार्य दिवस पर नगर पंचायत निचलौल में जमा कर सकते हैं। नियमों/शर्तों आदि की जानकारी कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त की जा सकती है। इस सूचना को महाराजगंज के वेबसाइट www.Maharajganj.nic.in पर देखा जा सकता है।

नगर पंचायत निचलौल में पंजीयन व नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें -

1. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वर्तमान निवास का पता सत्यापित करा कर देना होगा।
2. पंजीयन नवीनीकरण हेतु शुल्क निम्न प्रकार है -

श्रेणी ठेकेदार	पंजीयन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
प्रथम श्रेणी	5,000.00	2000.00
द्वितीय श्रेणी	2,500.00	1000.00
तृतीय श्रेणी	500.00	500.00

3. स्थानीय निकाय या लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विभागों में संतोषजनक कार्य कराने का अनुभव प्रमाण- पत्र प्रथम श्रेणी हेतु पांच वर्ष, द्वितीय श्रेणी हेतु तीन वर्ष, तृतीय श्रेणी दो वर्ष का होगा।
4. पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा।
5. आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जमा करना होगा।
6. जी.एस.टी. व्यापार कर पंजीयन प्रमाण- पत्र की सत्यापित प्रति जमा करना होगा।
7. पंजीयन नवीनीकरण 31 मार्च 2022 तक वैध होगा।
8. प्रथम श्रेणी ठेकेदारों का निविदा लेने की कोई सीमा नहीं होगी।
9. द्वितीय श्रेणी के ठेकेदारों को चार लाख तक का होगा।
10. तृतीय श्रेणी के ठेकेदार को दो लाख तक का होगा।
11. जिस व्यक्ति/फर्म का पंजीयन होगा कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
12. अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी की आख्या पर संतुष्ट होने पर कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में जमा जमानत की धनराशि जब्त कर पंजीयन निरस्त करने एवं काली सूची में रखने का अधिकार नगर पंचायत निचलौल के बोर्ड में निहित होगा तथा सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म को निष्पादित अनुबन्ध निरस्त की तिथि से स्वयं निरस्त समझा जायेगा।
13. कभी भी यह ज्ञात होने पर कि पंजीकृत व्यक्ति/फर्म द्वारा अपने पंजीयन से सम्बन्धित कोई अभिलेख या सूचना छिपाकर अथवा गलत/फर्जी दिया गया है। भविष्य में जब कभी यह ज्ञात होगा तो उसकी जनरल जमानत की धनराशि जब्त कर पंजीयन निरस्त करके एवं काली सूची में रखने का अधिकार अधिशासी अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत जांच अधिकारी की आख्या पर संतुष्ट होने पर अध्यक्ष में निहित होगा। तथा उसका निष्पादित अनुबन्ध उक्त तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
14. किसी भी शर्त के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा उनका निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

- निहित होगा उनका निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
15. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी विभाग में ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में आते हैं कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीयन/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे। आवेदन को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
 16. नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र को विना कारण बताये रद्द करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
 17. ठेकेदारों/फर्मों को नगर पंचायत निचलौल द्वारा भविष्य में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन करना होगा।
 18. निर्माण कार्य हेतु निर्धारित जमानत राशि जमा करना होगा। निर्माण कार्य संतोषजनक होने पर अथवा अन्तिम भुगतान होने के छः माह बाद वापस किया जायेगा।
 19. ठेकेदारों/फर्मों को पैन नम्बर देना होगा।
 20. कार्य की गुणवत्ता खराब होने की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा भुगतान रोक कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, साथ ही पंजीयन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 21. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 22. ठेकेदार/फर्मों को नवीनीकरण हेतु आवेदन अपने लेटर पैड पर देना होगा।
 23. नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदन पत्रों के स्वीकृत के पश्चात् ही निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा किया जायेगा।
 24. नगर में विकास की आवश्यकता व कार्य की अधिकता को देखते हुए मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से किसी भी नये ठेकेदारों/फर्मों का पंजीयन किया जा सकता है। जिसमें ठेकेदार/फर्मों को पंजीयन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ठेकेदारी पंजीयन हेतु प्रथम श्रेणी पंजीयन शुल्क 5000.00, द्वितीय श्रेणी पंजीयन शुल्क 2500.00 तथा तृतीय श्रेणी पंजीयन शुल्क 500.00 होगा जिसका जमानत धनराशि क्रमशः धनराशि 25000.00, 15000.00 व 10,000.00 होगा।
 25. किसी भी नियमों/शर्तों में संशोधन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज

पत्रांक 656(5) / न0प0नि0 / 2020-21 / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. मा0 जिलाधिकारी महोदय जनपद-महाराजगंज
4. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय- महाराजगंज।
5. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महाराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को वेबसाइट www.Maharajganj.nic.in पर डालने की कृपा करें।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिसासी अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज